

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 302/2017

दायर दिनांक 02.11.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. शंकरलाल पुत्र स्वर्गीय मोहन, आयु-35साल, जाति-मेघवाल, निवासी-पीपलौं का बास, पटवार हल्का, डाकीपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. चेनाराम पुत्र स्वर्गीय मोहन, 2. रामकरण पुत्र स्वर्गीय मोहन, 3. भिया उर्फ भोमा पुत्र स्वर्गीय जेसा, 4. जमना पत्नी भोमा उर्फ भीया, 5. प्रहलादराम पुत्र स्वर्गीय धूकला, 6. जवाना पुत्र स्वर्गीय धूकला, 7. रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय धूकला, 8. सांवताराम पुत्र स्वर्गीय धूकला, 9. हरजीराम पुत्र स्वर्गीय धूकला, 10. किशनाराम पुत्र स्वर्गीय पूराराम, 11. गट्टूदेवी पत्नी स्वर्गीय पूराराम, 12. महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय दानाराम, 13. रामदेवाराम पुत्र स्वर्गीय दानाराम, 14. कमलकिशोर पुत्र स्वर्गीय दानाराम, 15. अन्नाराम पुत्र स्वर्गीय हेमला उर्फ हेमाराम, 16. लाला पुत्र स्वर्गीय हेमला उर्फ हेमाराम, 17. उमाराम पुत्र स्वर्गीय हेमला उर्फ हेमाराम, 18. अर्जनराम पुत्र स्वर्गीय हेमला उर्फ हेमाराम, समस्त, जाति-मेघवाल, निवासी-पीपलौं का बास, पटवार हल्का, डाकीपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-53, 188, R.T.Act.

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 302/2017
दायर दिनांक 02.11.2017, निर्णय दिनांक 07.01.2019
शंकरलाल बनाम चैनाराम, वगैरा।

उपस्थित:-


1. श्री ईस्लामुदीन, वकील, वादी।
2. श्री मनफूलखॉ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 07 व 09 की ओर से।
3. श्री चैनाराम थोरी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 व 15 ता 18 की ओर से।

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 07.01.2019

मौजा सरहद पीपलों का बास में पुराना खसरा सं० 484 के नये खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 334 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, 335 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 336 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 337 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, 338 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 339 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 340 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गैरमुमकिन कुँआ, 341 रकबा 0.2000 हैक्टेयर व 342 रकबा 07.4100 हैक्टेयर का वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 19 के वादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को, दिनांक 04.06.2018 को प्राथमिक डिक्री कर, विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 2221 दिनांक 25.10.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 2221 दिनांक 25.10.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 302/2017
दायर दिनांक 02.11.2017, निर्णय दिनांक 07.01.2019
शंकरलाल बनाम् चेनाराम, वगैरा।


आदेश

दावा डिक्री सादिर कर मौजा सरहद पीपलॉ का बास में पुराना खसरा सं० 484 के नये खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0200 हैक्टयेर, 334 रकबा 0.0400 हैक्टयेर, 335 रकबा 0.0100 हैक्टयेर, 336 रकबा 0.0200 हैक्टयेर, 337 रकबा 0.0800 हैक्टयेर, 338 रकबा 0.0200 हैक्टयेर, 339 रकबा 0.0200 हैक्टयेर, 340 रकबा 0.0100 हैक्टयेर गैरमुमकिन कुँआ, 341 रकबा 0.2000 हैक्टयेर व 342 रकबा 07.4100 हैक्टयेर का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 2221 दिनांक 25.10.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 2221 दिनांक 25.10.2018, निर्णय एवं डिक्री का अमिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (निगौर)
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (निगौर)
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बड़जलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 302/2017

दायर दिनांक 02.11.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. शंकरलाल पुत्र स्वर्गीय मोहन, आयु-35साल, जाति-मेघवाल, निवासी-पीपलौ का बास, पटवार हल्का, डाकीपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. चेनाराम पुत्र स्वर्गीय मोहन, 2. रामकरण पुत्र स्वर्गीय मोहन, 3. भिया उर्फ भोमा पुत्र स्वर्गीय जेसा, 4. जमना पत्नी भोमा उर्फ भीया, 5. प्रहलादराम पुत्र स्वर्गीय धूकला, 6. जवाना पुत्र स्वर्गीय धूकला, 7. रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय धूकला, 8. सांवताराम पुत्र स्वर्गीय धूकला, 9. हरजीराम पुत्र स्वर्गीय धूकला, 10. किशनाराम पुत्र स्वर्गीय पूराराम, 11. गट्टूदेवी पत्नी स्वर्गीय पूराराम, 12. महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय दानाराम, 13. रामदेवाराम पुत्र स्वर्गीय दानाराम, 14. कमलकिशोर पुत्र स्वर्गीय दानाराम, 15. अन्नाराम पुत्र स्वर्गीय हेमला उर्फ हेमाराम, 16. लाला पुत्र स्वर्गीय हेमला उर्फ हेमाराम, 17. उमाराम पुत्र स्वर्गीय हेमला उर्फ हेमाराम, 18. अर्जनराम पुत्र स्वर्गीय हेमला उर्फ हेमाराम, समस्त, जाति-मेघवाल, निवासी-पीपलौ का बास, पटवार हल्का, डाकीपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी बन्तवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-53, 188, R.T.Act.


दिनांक 07.01.2019

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री ईस्लामुदीन, वकील, वादी व श्री मनफूलखाँ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04 ता 07 व 09 की ओर से व श्री चेनाराम थोरी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 व 15 ता 18 ओर से मदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर मौजा सरहद पीपलाँ का बास में पुराना खसरा सं० 484 के नये खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0200 हैक्टयेर, 334 रकबा 0.0400 हैक्टयेर, 335 रकबा 0.0100 हैक्टयेर, 336 रकबा 0.0200 हैक्टयेर, 337 रकबा 0.0800 हैक्टयेर, 338 रकबा 0.0200 हैक्टयेर, 339 रकबा 0.0200 हैक्टयेर, 340 रकबा 0.0100 हैक्टयेर गैरमुमकिन कुँआ, 341 रकबा 0.2000 हैक्टयेर व 342 रकबा 07.4100 हैक्टयेर का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 2221 दिनाँक 25.10.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 2221 दिनाँक 25.10.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
 -.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.01.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मिजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:-302-2017/रीडर/2018/ 5

दिनांक 16/11/19

प्रेषिति:-


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: - निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी बन्तवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-53, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. शंकरलाल पुत्र स्वर्गीय मोहन, आयु-35साल, जाति-मेघवाल, निवासी-पीपलाँ का बास, पटवार हल्का, डाकीपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. चैनाराम पुत्र स्वर्गीय मोहन, जाति-मेघवाल, निवासी-पीपलाँ का बास, पटवार हल्का, डाकीपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट, भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना